

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय हेतु बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस किराये के लिए दर निर्धारण
एवं फर्मों के इम्पैनलमेन्ट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक-1064 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19/06/2025

// निविदा प्रपत्र //

क्र.	निविदा	निविदा प्रपत्र शुल्क (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि (अपरान्ह 2:00 बजे तक)	निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि (अपरान्ह 3:00 बजे तक)	निविदा खोलने की अंतिम तिथि (अपरान्ह 4:00 बजे से)
1	बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस	1180/-	1,00,000/-	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर छ.ग. फोन नं. 0771-2512536

Web :- <http://samvad.cg.nic.in/>, Email :- cgsamvadadvdt@gmail.com



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

फोन- 0771-2512536

निविदा क्रमांक 1064 / छ.ग.सं./वाहन/2025

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19/06/2025

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय हेतु बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस किराये के लिए दर निर्धारण एवं फर्मों के इम्पैनलमेन्ट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस उपलब्ध कराने बाबत छत्तीसगढ़ राज्य के फर्मों से मासिक किराए पर वाहन चालक के साथ वाहन उपलब्ध कराने हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :-

क्र.	निविदा	निविदा प्रपत्र शुल्क (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि (अपरान्ह 2:00 बजे तक)	निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि (अपरान्ह 3:00 बजे तक)	निविदा खोलने की अंतिम तिथि (अपरान्ह 4:00 बजे से)
1	बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस	1180/-	1,00,000/-	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

फोन- 0771-2512536

नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय हेतु बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस किराये के लिए दर निर्धारण एवं फर्मों के इम्पैनलमेन्ट हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें

1. प्रतिदिन किराया दर में बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस 100 कि.मी. चलित सम्मिलित हैं। जिसके पेट्रोल/डीजल एवं अन्य सभी व्यय बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस मालिक द्वारा देय होगा।
2. प्रतिमाह किराये दर में वाहन 2000 कि.मी. चलित सम्मिलित है। जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
3. वाहन प्रतिदिन 100 कि.मी. दर से या प्रतिमाह 2000 कि.मी. की दर से चलने के उपरांत अतिरिक्त कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जाएगा। जिसमें पेट्रोल/डीजल एवं अन्य सभी व्यय वाहन मालिक द्वारा देय होगा। एक फर्म के एक से अधिक वाहन किराए पर लेने की स्थिति में अन्य वाहनों की कि.मी. रिविंग एक साथ क्लब/सेटअप किया जाएगा। अर्थात् वाहनों के अनुमोदित मासिक किराया के अतिरिक्त एक वाहन 2000 कि.मी.से ज्यादा चलने एवं अन्य बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस 2000 कि.मी. से कम चलने पर दोनों बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस की कुल 4000 कि.मी. से ज्यादा कि.मी. रनिंग पर संबंधित बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस के अतिरिक्त कि.मी. की न्यूनतम दर पर अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान देय होगा।
4. बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस मुख्यालय पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।
5. बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य है। जीवित बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) तथा फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी का भुगतान बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस मालिक/फर्म द्वारा किया जावेगा। दस्तावेज की प्रतियों का ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
6. बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य समस्त व्यय संबंधित बस, टेम्पो-ट्रैवलर बस मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक के अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। अन्यथा मासिक देयक में प्रतिदिन हेतु निर्धारित किराया दर पर कटौती की जाएगी। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो इसकी भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जाएगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।

7. वाहन के मरम्मत, रख-रखाव, दुर्घटना दावा एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस खराब होने पर मरम्मत, रख-रखाव, हेतु तथा मालिक द्वारा बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस वापस लिए जाने की स्थिति में बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बसमालिक द्वारा दूसरे बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्ययपूर्ति करने का दायित्व वाहन मालिक की होगी।
8. बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस का उपयोग अवकाश दिवसों पर भी किया जा सकेगा। यदि उक्त दिवसों पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मासिक दर के आधार पर प्रति दिवस राशि की गणना कर कटौती की जावेगी।
9. बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।
10. आबंटित वाहन छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय अथवा छोटापारा स्थित कार्यालय परिसर में रहेगा। आबंटित वाहन का उपयोग वाहन उपलब्ध कराने वाले फर्म अपने निजी प्रयोजन अथवा अन्य कार्य हेतु वाहन उपयोग किया जाता है अथवा द्वारा अवकाश या अन्य दिवस में अन्य संस्था के लिए किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से फर्म को इम्पैनलमेंट से बाहर कर दिया जाएगा एवं देयक भुगतान भी नहीं किया जावेगा।
11. वाहन किराया दर में सभी प्रकार के वैधानिक टैक्स सम्मिलित रहेंगे। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अलग से किसी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। जीएसटी पंजीयन होने की स्थिति में फर्मों को मात्र जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।
12. देयक दो प्रतियों में लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयकों के भुगतान में नियमानुसार आयकर एवं जीएसटी-टीडीएस की कटौती की जावेगी। बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस मालिक अन्य टैक्स/आयकर शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। लॉग बुक वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
13. बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। संवाद द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना कर अपना बस, टेम्पो-ट्रैवलर हटाने का विकल्प होगा।
14. शर्तों का उल्लंघन करने पर बस, टेम्पो-ट्रैवलर को हटा दिया जाएगा एवं बस, टेम्पो-ट्रैवलर का किराया भी देय नहीं होगा। तथा अमानत राशि राजसात किया जायेगा।

15. बस के निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकार फर्म के नाम से कम से कम 01 बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस में भाग लेने हेतु निविदाकार फर्म के नाम से कम से कम 01 टेम्पो-ट्रैवलर बस होना अनिवार्य है एवं बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस अच्छी कंडीशन में होना अनिवार्य है **बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस टैक्सी कोटे की होना चाहिए बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस के पंजीयन संबंधी दस्तावेज की प्रतियां ऑनलाईन अपलोड करनी होगी।** बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस के संबंध में शिकायत प्राप्त होने अथवा अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जाएगा एवं देयक का भुगतान रोका जा सकता है। अनुबंधित/इम्पैनल्ड फर्मों को छत्तीसगढ़ संवाद हेतु 2022 मॉडल अथवा लेटेस्ट मॉडल का वाहन उपलब्ध कराना होगा। 2022 मॉडल से पूर्व के वाहन स्वीकार्य नहीं होगा।
16. निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 1,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति ऑनलाईन टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।
छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Account Name | : Chhattisgarh Samvad |
| Bank Name | : Indian Bank |
| Branch Name | : Sector-27, Nawa Raipur (C.G.) |
| Saving Account No. | : 20246301259 |
| IFSC Code No. | : IDIB000N571 |
17. (1) पेनकार्ड की प्रति (2) कर निर्धारण वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 हेतु जमा आयकर रिटर्न के एकनॉलेजमेंट की प्रति प्रति (3) जीएसटी पंजीयन की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा। (4) वाहन के दस्तावेज जिसमें वाहन का मॉडल एवं टैक्स, बीमा आदि के भुगतान संबंधी दस्तावेज (5) वाहन चालकों की सूची, वाहन चालकों के आधार कार्ड, वैध ड्रायविंग लाइसेंस कम से कम 3 वर्ष वाहन चलाने का अनुभव प्रमाण की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा। वाहन चालकों के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक/ दुर्घटना प्रकरण दर्ज न हो।
18. निविदा छत्तीसगढ़ संवाद के वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> के टेक्नीकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है। ऑफलाईन किसी प्रकार का दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगा।
19. किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का औसतन राशि रु. 25 लाख का यू.डी.आई.एन. अंकित टर्नओवर प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
20. न्यूनतम निर्धारित दरों पर वाहन किराए पर किसी भी इम्पैनल्ड एजेंसी से लेने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद का रहेगा।

21. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवलर्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा अन्य एजेंसी से वाहन प्राप्त किया जाएगा। उक्त निविदा में स्वीकृत दर तीन वर्ष के लिए होगी। फर्म की सेवा संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को रहेगा।
22. यह निविदा मात्र वाहन किराया दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित की जा रही है। निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जाएगी। योग्य पाये गए फर्मों से निविदा के न्यूनतम दरों पर कार्य करने की सहमति प्राप्त कर सहमत फर्मों को इम्पैनलड किया जाएगा। किसी भी समय कार्यादेश रद्द करने एवं इम्पैनलमेंट सूची से बाहर करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।
23. नियत अवधि में पेट्रोल/डीजल के दर/टैक्स/जीएसटी में वृद्धि होने पर बढ़े हुए दर के भुगतान का दायित्व बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी। छत्तीसगढ़ संवाद से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
24. निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।
25. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :-**कसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर- प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
26. उपयोग किए जाने वाले वाहन के प्रकार/मॉडल का निर्धारण करने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय को होगा।
27. बस एवं टेम्पो-ट्रैवलर बस में फास्टेग की सुविधा अनिवार्य होगी तथा इसकी रिचार्ज अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा।
28. इम्पैनलड फर्मों को छत्तीसगढ़ संवाद के साथ निविदा में शर्तों के अनुरूप राशि रु. 100/- के स्टाप पेपर में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित करवाना होगा।
29. निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।
30. बस, टेम्पो-ट्रैवलर किराये के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अंतिम निपटारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
31. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छ.ग. होगा।

32. छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में फर्म को निर्धारित प्रारूप में राशि रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है। शपथ-पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) निविदा जमा करने के नियत तिथि तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, भण्डार शाखा कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जाना है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

बस, ट्रैवलर बस किराया हेतु निविदा करें

क्र.	वाहन का विवरण	प्रतिदिन का किराया (100 कि. मी. सहित) रुपये	प्रतिमाह का किराया (2000 कि.मी. सहित) रुपये	अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर रुपये
1	बस(ए.सी.) – 42 सीटर			
2	टेम्पो-ट्रैवलर बस ए.सी.- 20 सीटर			
3	टेम्पो-ट्रैवलर बस ए.सी.- 24 सीटर			

हस्ताक्षर

नाम/फर्म का नाम

पूर्ण पता.....

.....

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं _____ संस्था प्रमुख निवासी _____ छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा हेतु प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था _____ किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान _____
दिनांक _____

हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
संस्था का नाम व मोहर